राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

तृतीय तल, **CoERRA**, अरण्य भवन के सामने, झालाना डूँगरी, जयपुर–302004
फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स न0 : 0141–2740676,
वेबसाईटः **www.excise.rajasthan.gov.in** ई–मेल : **dgmpurchase.rsgsm@rajasthan.gov.in**

ई–बिड आमंत्रण सूचना

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के विभिन्न मदिरालयों पर देशी/राजस्थान निर्मित मदिरा परिवहन कार्य हेतु दर संविदा

द्वि–भाग बिड

भाग– प्रथम

तकनीकी बिड

बिड क्रमांक–आरएसजीएसएम/मुख्यालय/मदिरा परिवहन/खुली बिड/2023–24/33 दिनांक 09.10.2023

प्री–बिड बैठक दिनांक व समय	:	दिनांक 12.10.2023 को दोपहर 12.00 बजे
बिड सबमिशन प्रारम्भ दिनांक एवं समय	:	दिनांक 18.10.2023 को दोपहर 12.00 बजे से
बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 30.10.2023 को दोपहर 3.00 बजे तक
बिड प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 30.10.2023 को दोपहर 3.00 बजे तक
तकनीकी बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान	:	दिनांक 30.10.2023 को सांय 5.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय	:	वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से दी जावेगी
बिड प्रपत्र मूल्य	:	रूपये 5900 मय जी.एस.टी
बिड प्रोसेसिंग मूल्य	:	रूपये 2500 मात्र

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

तृतीय तल, CoERRA, अरण्य भवन के सामने, झालाना डूँगरी, जयपुर–302004

फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स न0 : 0141–2740676

ई–बिड आमंत्रण सूचना

बिड क्रमांक–आरएसजीएसएम / मुख्यालय / मदिरा परिवहन / खुली बिड / 2023–24 / 33

1. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन विभिन्न मदिरालयों पर देशी / राजस्थान निर्मित मदिरा परिवहन हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति / फर्म / कंपनी से ई–बिड आमंत्रित की जाती हैं। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है–

कार्य	अनुमानित वार्षिक व्यय	बिड प्रपत्र शुल्क / प्रोसेगिस फीस / बोली प्रतिभूति राशि	बोली की वैधता अवधि	बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	बिड खोलने की तिथि एवं समय व स्थान
विभिन्न मदिरालयों पर देशी / राजस्थान निर्मित मदिरा परिवहन कार्य के लिये बिड	रू. 811.64 लाख	रू. 5900 मय GST / रू. 2500 / @2% of tender value as per special condition no. 2	90 दिवस	दिनांक 30.10.2023 दोपहर 3.00 बजे तक	दिनांक 30.10.2023 को सांय 5.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर

2- Bidders may also pay the fee online before the due date and upload the details online:

1) Online payment towards bid fee, bid security shall also be accepted along with the other methods mentioned in the bid. The bidders may deposit the requisite fee through NEFT/ RTGS in the following bank account of RSGSM and upload copy of the deposition slip with details (viz. name of depositor, amount with break-up of the types of fee, bank branch, bank transaction number, date, etc.) for verification:

Beneficiary Name:	Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd., Jaipur
Beneficiary Account Number:	25220200001309
Bank Name:	Bank of Baroda
Branch Name:	Bais Godam, Jaipur Branch
IFS Code:	BARB0INDBAI

3. बिड में मुख्य रूप से विभिन्न मदिरालयों से उनके संबंद्ध डिपोज हेतु देशी / राजस्थान निर्मित मदिरा परिवहन के लिये बिड आमंत्रित की गई है। बिड में मदिरालय से संबंधित डिपोज के लिये एकतरफा दरें देनी होंगी। कोई भी बिडर एक या एक से अधिक या सभी मदिरालयों के लिये दरें प्रस्तुत (quote) कर सकता है। किसी मदिरालय से आपातकालीन परिस्थितियों में संबंधित डिपोज के अलावा अन्य स्थान पर भी मदिरा परिवहन किया जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति के लिये परिवहन हेतु प्रति किलोमीटर दर मूल्य बिड (BOQ) में अलग से अंकित करना होगा।
4. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक द्वारा बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। संस्थान में वर्तमान में सेवारत कार्मिक के परिवार के सदस्यों द्वारा भी बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवार की श्रेणी में दादा, दादी, माता, पिता, पत्नी, पुत्र ,पुत्री (दत्तक पुत्र ,पुत्री सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे। यदि संस्थान में कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(उपरोक्तानुसार वर्णित परिवार के सदस्यों के अलावा) द्वारा बिड में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा।

5. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं जावेगी।
6. निर्धारित तिथि एवं समय पर अपलोड की गई बिड को मुख्यालय की उपापन समिति द्वारा उपस्थित बिडर्स या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष में खोला(डाउनलोड) जावेगा।
7. बिड प्रपत्र वेबसाइट www.excise.rajasthan.gov.in or www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. **<u>ई–बिड प्रस्तुतीकरण के लिये बिडर्स हेतु निर्देशः–</u>**

क बिड में भाग लेने वाले बिडर को इन्टरनेट वेब साइट eproc.rajasthan.gov.in_पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC, Type-III),इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट– 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक बिड में साइन करने हेतु काम आयेगा। बिडर उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सी. सी. ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिड दाताओं के पास E-Procurement Portal के लिए पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

ख बिडर को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

ग इलेक्ट्रोनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडर यह सुनिश्चित कर लेवे कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी हैं।

घ कोई भी बिड इलेक्ट्रोनिकी फार्मेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आरएसजीएसएम की नहीं होगी।

ङ बिड प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

च ऑन लाईन बिड भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप बिड प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए आरएसजीएसएम की जिम्मेदारी नहीं होगी।

छ बिडर, यदि आवश्यक हो तो, ऑनलाईन बिड सबमिशन के प्रशिक्षण हेतु सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, प्रथम तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के ई–प्रोक्यरमेन्ट सेल हेल्पडेस्क न. 0141–4022688, ई–मेलः eproc@rajasthan.gov.in वेबसाईटः www.eproc.rajasthan.gov.in से सम्पर्क कर सकते है।

ज बिड में सभी सूचना/संशोधन बिड जारी करने के उपरान्त eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ही जारी किये जावेंगे। बिडर द्वारा वेब (ई–मेल) पर संशोधनों/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

झ मदिरालयवार बोली प्रतिभूति राशि (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में), बिड शुल्क रू. 5900 मय जीएसटी (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में), बिड प्रोसेसिंग शुल्क रू. 2500 (MD, RISL, payable at Jaipur के पक्ष में) के डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, एवं एनेक्सर 'बी' (रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) ऑफलाईन बन्द लिफाफे में बिड प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि एवं समय तक क्रय अनुभाग, आरएसजीएसमएम, तृतीय तल, CoERRA, अरण्य भवन के सामने, झालाना डूँगरी, जयपुर–302004 में जमा कराना/सूचित करना होगा। अन्य कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार नहीं किये जावेगें

ञ बिडर यह भी सुनिश्चित करें कि बिड संबंधी एवं चैक–लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं बिड प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षरित एवं मोहरबंद कर ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करें। ऐसा करने में असफल पाये जाने पर बिडर को तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

Dy. General Manager (Purchase)

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

तृतीय तल, CoERRA, अरण्य भवन के सामने, झालाना डूँगरी, जयपुर–302004

फोन न0 : 0141–2740841,फैक्स न0 : 0141–2740676,

वेबसाईट : **www.excise.rajasthan.gov.in** ई–मेल : **dgmpurchase.rsgsm@rajasthan.gov.in**

ई–बिड आमंत्रण सूचना

बिड कमांक– आरएसजीएसएम/मुख्यालय/मदिरा परिवहन/खुली बिड/2023–24/33 दिनांक 09.10.2023

Bids for transportation work are invited from interested bidders up to 3.00 PM on 30-10-2023. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in) of the state; http://excise.rajasthan.gov.in/, departmental website.

UBN:

उपमहाप्रबन्धक (क्रय)

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

बिडर्स हेतु निर्देश / सूचना	
बिड क्रमांक	आरएसजीएसएम / मुख्यालय / मदिरा परिवहन / खुली बिड / 2023–24 / 33
उपापन संस्थान	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
उपापनीय सेवा का विवरण	मदिरालयों पर देशी / राजस्थान निर्मित मदिरा परिवहन कार्य
बिड प्रपत्र का मूल्य	रू. 5900 मय GST का RSGSM Ltd. (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी चैक / डीडी / ऑनलाईन जमा रसीद व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व / तक पहुंचाना अनिवार्य है।
बिड प्रोसेसिंग का मूल्य	रू. 2500 का MD, RISL (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक / डीडी / ऑनलाईन जमा रसीद व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व / तक पहुंचाना अनिवार्य है।
बिड जिसको प्रस्तुत करनी है, अथवा कोई स्पष्टिकरण वाछिंत है	उप महाप्रबंधक (क्रय) , राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, तृतीय तल, CoERRA, अरण्य भवन के सामने, झालाना डूँगरी, जयपुर–302004 फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स : 0141–2740676 ई–मेल : dgmpurchase.rsgsm@rajasthan.gov.in
प्री बिड बैठक	हाँ, 12.10.2023
बिड की भाषा	हिन्दी व अंग्रेजी
बिडर को बिड के साथ संलग्न करना है–	बिड की शर्तों एवं चैक लिस्ट में उल्लेखानुसार
दरों की वैधता अवधि	तकनीकी बिड प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिवस
बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रतिभूति राशि @ 2 प्रतिशत, RSGSM Ltd. (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी चैक / डीडी / ऑनलाईन जमा रसीद व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व / तक पहुंचाना अनिवार्य है।
अधिकृत करना	बिडर्स के लैटर हैड पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी या अधिकृति पत्र
बिड प्रपत्र को डाउनलोड करना	www.excise.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
बिड डाउनलोड व अपलोड करने का अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 30.10.2023 को दोपहर 3.00 बजे तक वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in
तकनीकी बिड खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 30.10.2023 सांय 5.00 बजे www.eproc.rajasthan.gov.in द्वारा मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर।
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय	ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज प्रणाली के माध्यम से दी जावेगी
अवधि जिसमें कार्य सम्पादन राशि जमा कराकर अनुबंध का निष्पादन किया जाना है	सहमति पत्र जारी करने के 15 दिवस में करना होगा, अन्यथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
प्रथम अपील प्राधिकारी का पदनाम व पता	संयुक्त सचिव, वित्त (आबकारी)
द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम	वित्त सचिव (बजट)

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

व पता	

मैं / हम ....(व्यक्ति / फर्म / कंपनी आदि) बहैसियत . ...(पदनाम / प्रास्थिति) द्वारा समस्त बिड दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं इसके समस्त प्रावधानों व शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा स्वीकारोक्ति स्वरूप सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर कर दिये गये हैं। मेरी / हमारी जानकारी निम्नानुसार है–

व्यक्ति / फर्म / कंपनी का नाम ——————————————————

——————————————————

——————————————————

कार्यालय पता ——————————————————

——————————————————

——————————————————

फैक्ट्री का पता ——————————————————

——————————————————

——————————————————

दूरभाष / फोन कार्यालय ....

निवास ....

फैक्ट्री ....

फैक्स ....

ई–मेल ....

मोबाईल ....

वैधानिक विवरणः–

माल एवं सेवाकर पंजीयन संख्या (GSTIN) ——————————————————

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

पैन नंबर ————————————————————

जीएसटी जमा की विवरणी का संदर्भ ————————————————————

बोली प्रतिभूति राशि मय मदिरालय का विवरण

डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या एवं दिनांक ————————————————————

डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक राशि ————————————————————

बिडर का बैंक का नाम ————————————————————

बैंक खाता संख्या ————————————————————

बैंक आरटीजीएस/नेफ्ट न0 ————————————————————

हस्ताक्षर ————————————————————

नाम व पदनाम हस्ताक्षरकर्त्ता ————————————————————

नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
मदिरा परिवहन कार्य हेतु बिड के संबंध में विशेष शर्तें

टिप्पणी–लोक उपापन के संबंध में ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012'' एवं ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013'' प्रभावशील हैं एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अतः समस्त बिडर्स को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इन नियमों से भलीभांति परिचित हो लेवे। यदि लोक उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम, 2013 तथा इस बोली दस्तावेज के किन्हीं प्रावधानों के बीच असाम्यता हो तो ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012'' एवं ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013'' में उल्लेखित प्रावधान तथा आशय ही मान्य/प्रभावी रहेगा।

1. यह बिड विभिन्न मदिरालयों से संबधित डिपोज (एनेक्सर ''एफ'') पर देशी/राजस्थान निर्मित मदिरा परिवहन हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी से ई–बिड आमंत्रित की जाती है।
2. सभी मदिरालयों एवं उनसे संबद्ध डिपोज हेतु आमत्रिंत बिड हेतु वार्षिक व्यय लगभग रू. 8,11,63,760 का आंकलन किया गया है। बिडर द्वारा एनेक्सर ''एफ'' में वर्णित अनुसार 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि जमा कराना होगा। मदिरालयवार बोली प्रतिभूति राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	मदिरालय का नाम	अनुमानित वार्षिक व्यय	बोली प्रतिभूति राशि @ 2 प्रतिशत
1.	उदयपुर	₹ 93,75,155	₹ 1,87,504.00
2.	खारां, बीकानेर	₹ 35,00,000	₹ 70,000.00
3.	हनुमानगढ	₹ 49,71,921	₹ 99,439.00
4.	अजमेर	₹ 69,37,722	₹ 1,38,755.00
5.	भीलवाड़ा	₹ 29,50,455	₹ 59,010.00
6.	अलवर	₹ 22,82,727	₹ 45,655.00
7.	धौलपुर	₹ 27,00,000	₹ 54,000.00
8.	सवाईमाधोपुर	₹ 28,37,000	₹ 56,740.00
9.	झोटवाड़ा	₹ 97,92,123	₹ 1,95,843.00
10.	सीकर	₹ 25,00,000	₹ 50,000.00
11.	झुन्झुनू	₹ 45,00,000	₹ 90,000.00
12.	बारां	₹ 16,00,000	₹ 32,000.00
13.	मण्डोर	₹ 1,06,13,000	₹ 2,12,260.00
14.	सिरोही	₹ 34,00,000	₹ 68,000.00
15.	कोटा	₹ 73,53,657	₹ 1,47,074.00
16.	बून्दी	₹ 13,50,000	₹ 27,000.00
17.	भरतपुर	₹ 45,00,000	₹ 90,000.00
TOTAL		₹ 8,11,63,760	₹ 16,23,280.00

3. सफल बिडर को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आदेशित मदिरालय/मदिरालयों की अनुमानित राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। इस राशि में बिड के साथ जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि समायोजित की जा सकेगी तथा शेष राशि अतिरिक्त जमा करानी होगी। उक्त समस्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित हो जाने के पश्चात ही उक्त राशि लौटायी जायेगी।
4. सफल बिडर को प्रतिदिन मदिरा परिवहन के लिये आवश्यक ट्रक प्रभारी मदिरालय (संबंधित) को उपलब्ध करानी होगें। अत्यावश्यक होने पर प्रभारी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने के तीन घंटे की अवधि में वाहनों

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

की व्यवस्था करनी होगी। सफल बिडर को स्वयं/ प्रतिनिधि को मदिरालय में जाकर प्रतिदिन प्रातः मदिरालय खुलने पर ट्रकों की मांग नोट कर डिमान्ड रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे।

5. यदि सफल बिडर द्वारा समय पर ट्रक उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे तो संस्थान खुले बाजार से सफल बिडर की नियमानुसार रिस्क एण्ड कोस्ट पर ट्रक किराये पर ले सकेगी व किराये में अन्तर की राशि अथवा अन्य हानि/प्रभार सफल बिडर से वसूली योग्य होंगे।
6. सफल बिडर को ट्रक हॉल्टेज का कोई चार्जेज देय नहीं होगा।
7. संबंधित मदिरालय से उसके अधीन विभिन्न डिपोज के लिये दरें 9 टन क्षमता के ट्रकों से देशी/राजस्थान निर्मित परिवहन हेतु एकतरफा दूरी के मद्देनजर दी जावें।
8. ***9 टन क्षमता वाहन अनुसार 900 केसेज पेट पव्वें / 625 केसेज कांच पव्वों का परिवहन किया जाना है। उक्तानुसार विशेष परिस्थितियों में कम/अधिक परिवहन कराये जाने की स्थिति में अनुमोदित किराया राशि मात्रा केस का अनुपातिक रूप से कम/अधिक भुगतान किया जा सकेगा।***
9. **कॉच एवं पेट पात्रों में निर्धारित मात्रा में परिवहन हेतु देशी मदिरा स्टॉक उपलब्ध नही होने एवं परिवहन कराया जाना आवश्यक होने पर विशेष परिस्थिति में पेट एवं कॉच पात्रों में एक साथ परिवहन उप–महाप्रबन्धक (उत्पादन एवं वितरण) की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।**
10. मदिरा को ले जाने हेतु प्रयुक्त वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होने चाहिए तथा वैध एवं अधिकृत रूप से संचालित होने चाहिये।
11. सफल बिडर के द्वारा प्रस्तुत परिवहन बिलों में से केन्द्रीय व राजकीय करों के रूप में स्त्रोत पर की जाने वाली कटौती की जाकर ही बिड का भुगतान बिडर को किया जावेगा। यदि कोई राशि वसूली योग्य रह जाती है तो उसे जमा कराने का दायित्व सफल बिडर का स्वंय का होगा।
12. **मदिरा परिवहन के क्रम में चुंगी/टोल टैक्स/ अन्य कर (जीएसटी के अतिरिक्त) के रूप में कोई भुगतान देय नहीं होगा। बिडर को दरें सभी प्रकार के कर को सम्मिलित करते हुए देनी होगी।**
13. रास्ते में गाडी खराब होने पर दूसरी गाडी व श्रमिको की व्यवस्था कर मदिरा को गन्तव्य स्थान पर सुरक्षित भिजवाने की व्यवस्था सफल बिडर को करनी होगी।
14. परिवहन किराये का भुगतान गोदाम प्रभारी के प्रमाणीकरण के आधार पर प्रभारी मदिरालय द्वारा मासिक आधार पर चैक/आर.टी.जी.एस. द्वारा किया जावेगा।
15. मदिरालय से रवाना होने के पश्चात् मदिरा से भरी गाडियों को सीधे अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचना होगा। अगर किसी वजह से गाडी में खराबी, पंक्चर, खाना खाने इत्यादि कारणों से गाडी को जितने समय तक रोकना पडा, तो उसका पूर्ण रिकार्ड रखना होगा तथा प्रभारी मदिरालय को यथासमय अवगत कराना होगा। आवश्यकता होने पर रिकार्ड भी प्रस्तुत करना होगा।
16. यद्यपि मदिरालय से डिपोज की दूरी जीपीएस आधारित हैं तथापि मदिरा परिवहन वाहनों का मार्ग (रूट) कम्पनी द्वारा बताये अनुसार/आबकारी पास में लिखे अनुसार ही होगा।
17. बिड में वही बिडर भाग ले सकेगा जिसके पास स्वयं अथवा फर्म के नाम से 9 टन से 12.5 टन (6 चक्का) क्षमता के न्यूनतम 3 ट्रकों का स्वामित्व एनआईबी जारी करने की तिथि से पूर्व का हो। साथ ही अनुबंध की संपूर्ण अवधि में अपेक्षित परिवहन क्षमता (9 टन से 12.5 टन) के न्यूनतम 3 ट्रकों का स्वामित्व बिडर के पक्ष में उपलब्ध रहना आवश्यक है। बिडर तीन ट्रकों के स्वामित्व के आधार पर एक से अधिक मदिरालयों के परिवहन कार्य हेतु भी बिड प्रस्तुत कर सकेगें तथा सफल बिडर रहने की दशा में अतिरिक्त वाहन अनुबंधित कर कार्य में ले सकेगें।
18. बिड में प्रस्तुत किये गये न्यूनतम 3 ट्रकों का स्वामित्व संपूर्ण अनुबंध अवधि में सफल बिडर के नाम में रहना आवश्यक होगा। यदि बिडर द्वारा अनुबंध अवधि में उक्त वाहनों का बेचान किया जाता है तथा उनके स्थान पर नये वाहनों का क्रय किया जाता है, तो ऐसा किये जाने से पूर्व उक्त की सूचना आरएसजीएसएम को दिया जाना आवश्यक होगा। परन्तु अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि में न्यूनतम 3 ट्रकों का स्वामित्व सफल बिडर के पक्ष में बना रहेगा। उक्त के उल्लघंन की दशा में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
19. यदि बिडर द्वारा उसके अपने स्वामित्व के ट्रक / वाहन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन से मदिरा परिवहन का कार्य किया जाता है तो ऐसी स्थिति ऐसे अन्य वाहन के क्रम में समस्त दायित्व बिडर के स्वंय के होगें।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

ऐसे अनुबंधित वाहन को मदिरा परिवहन कार्य के लिये प्रयुक्त किये जाने से पूर्व बिडर ऐसे वाहन की सम्पूर्ण जानकारी (मय रजिस्ट्रेशन प्रमाण की प्रति) से लिखित में प्रभारी मदिरालय को अवगत करायेगा।

20. मदिरा कन्साईनमेन्ट में रास्ते में यदि कोई कमी/क्षति/हानि होती है तो उसकी कटौती बिडर से की जावेगी।

21. कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले मदिरावाहक वाहन परिवहन विभाग द्वारा पासशुदा, परिवहन विभाग से फिटनेस प्राप्तशुदा, इन्श्योरेन्सशुदा व अच्छी हालत में होने चाहिए एवं वाहन चालक के पास वाणिज्यिक लाईन्सेस होना चाहिए तथा बिडर द्वारा संबंधित प्राधिकृति से तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाकर प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है। *उक्त दस्तावेतों के अभाव में बिडर की तकनीकी बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।*

22. बिडर द्वारा प्रस्तुत की गई दरें संपूर्ण अनुबन्ध अवधि के लिए मान्य रहेगी। डीजल की दरों में अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी विशिष्ट माह में उपलब्ध दैनिक दरों के औसत आधार पर 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि/कमी होती है तो प्रति लीटर पांच किलोमीटर रनिंग को आधार मानते हुये गंतव्य स्थान तक की एकतरफा दूरी के आधार पर परिवहन दरों में संशोधन किया जावेगा तथा यह संशोधन वृद्धि/कमी के 75 प्रतिशत के समकक्ष होगा तथा वास्तविक लाभ आगामी माह की प्रथम तारीख से देय होगा। संशोधन के उद्देश्य हेतु डीजल की बेसिक दर वित्तीय बिड खोलने की दिनांक को राजस्थान में प्रति लीटर डीजल विक्रय की बाजार दर होगी।

उदाहरणार्थ–

क्रसं.	विवरण	विवरण
1	झोटवाड़ा से चौमूं कन्साइनमेंट भेजा	एक वाहन
2	परिवहन दर	3000 रू. प्रति ट्रिप एकतरफा
3	दूरी	30 किमी एकतरफा
4	डीजल की संशोधन के उद्देश्य से बेसिक दर (वित्तीय बिड के खोलने की तिथि को राजस्थान में डीजल विक्रय की बाजार दर)	रू. 50 प्रति लिटर
5	डीजल का संशोधन के उद्देश्य से बेसिक माईलेज	5 किमी प्रति लीटर
6	उक्त तथ्यों की स्थिति में रू. 2.5 प्रति लीटर कमी/वृद्धि पर संशोधन। अर्थात रू. 47.50 या 52.50 प्रति लीटर भाव होने पर।	कोई संशोधन नहीं
7	यदि दर रू. 50 से बढकर यदि 55 हो जावे या घटकर 45 रू. प्रति लीटर हो जावे तो– 30 किमी दूरी पर डीजल की खपत 6 लीटर 6 लीटर डीजल पर वृद्धि के कारण अतिरिक्त भार 6 X 5 = 30 रू. 30 रू. 30 का 75 प्रतिशत यानि 30 X 75/100 रू. 22.50	संशोधित दर रू 3000 + 22.50 यानि 3022.50 प्रति ट्रिप एकतरफा बाजार में दर में कमी होने पर रू. 3000–22.50 यानि 2977.50 प्रति ट्रिप एकतरफा
8	वास्तविक लाभ जिस माह में कमी/वृद्धि हुई है उसके आगामी माह की पहली तारीख से देय	आगामी माह की पहली तारीख से देय

23. टायर, ऑयल, पार्ट्स, परिवहन से संबंधित टैक्स आदि की दरों में वृद्धि होने पर परिवहन की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जावेगी।

24. प्रत्येक कन्साईनमेन्ट के निर्दिष्ट मदिरा गोदाम पर पूरी मात्रा में पहुंचाने की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी। मदिरा त्रिपाल से ढक कर परिवहन करना होगा। भरी देशी मदिरा की बोतलों में अधिकतम 0.25 प्रतिशत एवं इसी अनुपात में अद्दे, पव्वें, रास्ता क्षति सामान्य मानी जावेगी। इससे अधिक क्षति की जिम्मेदारी सफल बिडर की रहेगी, जिसकी वसूली निर्धारित मूल्य की दरों से की जावेगी।

25. यदि दुर्घटना की वजह से अधिक क्षति होती है तो दुर्घटना होते ही सफल बिडर की यह जिम्मेदारी होगी कि ईकाई प्रबन्धक/प्रभारी मदिरालय को शीघ्र सूचित करें। पुलिस एवं आबकारी विभाग को भी शीघ्र सूचित करना होगा एवं मौके पर ही पंचनामा, फोटो इत्यादि बनाने की आवश्यक कार्यवाही मौके पर करेंगे। समस्त कागजात बनाकर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे तथा कम्पनी को होने वाले नुकसान की भरपाई सफल बिडर को करनी होगी।
26. अनुबन्ध की अवधि में कम्पनी द्वारा कार्यादेश कभी भी निरस्त किया जा सकेगा एवं अनुबन्ध अवधि को आवश्यकतानुसार घटाया/बढाया भी जा सकता है। बिडरद्वारा नियमित सेवायें नहीं देने, अवैध एवं विधि विरूद्ध गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर 3 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है एवं शेष अवधि में कार्य अन्य स्त्रोतों से आपकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर करवाया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं बिडर की होगी तथा इसमें होने वाली हानि की वसूली सफल बिडर से की जायेगी।
27. सफल बिडर द्वारा परिवहन अवधि के दौरान परिवहन कार्य हेतु मना कर दिये जाने पर जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मय18 प्रतिशत जी.एस.टी.जब्त की जावेगी।
28. दर संविदा सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी, एवं आवश्यकता पडने पर उन्हीं नियमों व शर्तों के अध्याधीन तीन माह अतिरिक्त बढाकर अधिकतम 15 माह तक की जा सकती है।
29. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(8) वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2014 के अनुसार बिड प्रपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर ए,बी,सी,डी की शर्तो की पूर्ण पालना कर टेण्डर फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
30. **बिड प्रपत्र के अन्तर्गत मदिरालय से संबद्ध डिपोज हेतु एकतरफा दर एवं अपरिहार्य परिस्थिति में अन्य डिपोज पर मदिरा परिवहन (एकतरफा) के लिये प्रति रंनिग किलोमीटर के आधार पर दरें आमत्रिंत की गई है तथापि मदिरालय से संबद्ध डिपोज की दूरी (सांकेतिक) एनेक्सर ''एफ'' में वर्णित की गई है।**
31. सामान्य शर्त एवं विशेष शर्त में यदि किसी विषय या बिंदु पर विरोधाभास हो तो विशेष शर्त ही मान्य होगी।
32. तकनीकी बिड के साथ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग का पंजीकरण/आयकर विभाग से पैन नंबर आदि की सत्यापित प्रतियां ऑनलाईन बिड में बिडर को प्रस्तुत करनी होगी। इनके अभाव में बिड को अस्वीकार कर दिया जावेगा।
33. बिडर की तकनीकी बिड में सफल पाये जाने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी, तथा वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से बिडर को प्राप्त हो जावेगी।
34. संबंधित सफल बिडर को 15 दिवस के भीतर अनुबंध करना होगा, व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्ध के समय जमा करानी होगी।
35. संस्थान न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी। साथ ही बिना कारण बताये बिड को निरस्त किया जा सकेगा।
36. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा अनुरोध किये जाने पर निर्धारित पैनल में पारस्परिक सहमति से एकल पंच की नियुक्ति की जा सकती है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।
37. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय होंगे।
38. दर संविदा, न्यूनतम कीमत वाली बोली लाभप्रद बोली के बोली लगाने वाले के साथ, उपापन की विषय वस्तु की मात्रा, स्थान और समय के लिए प्रतिबद्धता के बिना, कीमत के लिए की जायेगी।
39. परिवहन कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले मदिरा वाहन पूर्णतया फिट होने चाहिये तथा संबंधित प्राधिकृति से तत्संबंधी प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक होगा।
40. **वित्तीय बिड में एल–1 बिडर का निर्धारण मदिरालयवार, मदिरालय से संबंद्ध सभी डिपोज के लिये प्रस्तावित एकतरफा किराया {9 टन वाहन क्षमता एकमुश्त** (625 Glass case / 900 pet case)} **के प्रतिकिलोमीटर औसत दर के आधार पर, किया जायेगा।**

    उदाहरणार्थ :

    मदिरालय जयपुर हेतु = $\dfrac{\text{मदिरालय जयपुर से संबंद्ध सभी डिपोज हेतु प्रस्तुत दर का योग}}{\text{मदिरालय जयपुर से संबद्ध सभी डिपोज की दूरी का योग}}$

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

41. बिडर फर्म का गत तीन वित्तीय वर्षों i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 का परिवहन कार्य का औसत वार्षिक टर्नऑवर ₹ 20 लाख या अधिक प्रतिवर्ष होना आवश्यक है। इस हेतु सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखे/ प्रमाण पत्र जिनमें परिवहन कार्य के टर्नऑवर का स्पष्ट उल्लेख हो संलग्न करें।
42. अनुबंध अवधि में यदि किसी डिपो के अन्यत्र स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप यदि मदिरालय से संबंधित डिपो की दूरी में बिड में दर्शाई गई दूरी से ± 10% से अधिक अन्तर होने की स्थिति में ही दरें, बिडर द्वारा BOQ में अपरिहार्य परिस्थिति में अन्य डिपोज पर मदिरा परिवहन किये जाने की स्थिति में प्रस्तुत परिवहन दर प्रति रंनिग किलोमीटर के आधार पर गुणावगुण आधार, पर कम/अधिक की जा सकती है।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

बिड एवं संविदा के लिये सामान्य शर्तें

नोट—यदि सामान्य शर्तों व विशेष शर्तों में विरोधाभास हो तो विशेष शर्त का आशय ही मान्य होगा। यदि सामान्य व विशेष शर्त को आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम, 2013 से विरोधाभास हो तो आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम, 2013 का अर्थ ही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

1. बिडर को बिड सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप सेबिड, ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना संस्थान को लिखित में बिडर द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को बिडरद्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए बिडरकी रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।
3. विधिमान्यता :—बिड उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
4. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले मदिरा की शर्तो, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे संस्थान को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
5. बिडरअपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप—भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
6. बिडर या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्य़क्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
7. बोली प्रतिभूति राशि :— (क) बिड के साथ एनेक्सर ''एफ'' अनुसार बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बिड पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि आरएसजीएसएम के पक्ष में डी.डी. /बैंकर्स चैक/ऑनलाईन जमा करायी जानी चाहिए :—

   (1) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागोंऔर सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों,रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

   (2) बोली प्रतिभूति लिखत या बोली प्रतिभूति की नकद (नेफ्ट/आरटीजीएस) रसीद या बोली प्रतिभूत करने की घोषणा आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।

   (3) उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखीहुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति मेंसमायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोलीके पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

   (4) बोली प्रतिभूति ने, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक केविनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई. जी. आर. ए. एसकेमाध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायीगयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

   (5) बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति कानिर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्ररूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिए।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(6) यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वालाबोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता कोपुष्ट करने के लिए उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसीअनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।

(7) बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारन्टी की संबंधित जारी करने वालेबैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करनेवाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने सेउपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वालादिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिए पात्र नहीं रह गया है।

(8) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली कीअंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनेके शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

(9) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृतकर दी जायेगी, अर्थात् :–

क जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है;

ख जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;

ग जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है;

घ जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है;

ङ यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(10) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्यसम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती हैयदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

(11) उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति कोतत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :–

क बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर;

ख सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर;

ग उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर; या

घ बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

8. कार्य सम्पादन प्रतिभूति.– कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(1) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले मेंप्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कीजाये, होगी और संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशतहोगी।

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत कीजायेगीः–

क किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

ख राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत केप्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदिवह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पणमूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप सेउपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

ग किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंकसे सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिएनियम 42 में वर्णित के समान होंगी।

घ किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगानेवाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप सेउन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यहसुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधितबोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग परसंदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरणकी दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर लीजायेगी।

ङ संकर्मों के उपापन में मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार परहस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के दसप्रतिशत की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत करसकेगा।,

(3) उप–नियम (3) के खण्ड (ख) से (ङ) के प्ररूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादनप्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलितकरते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख सेपरे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

9. करार का निष्पादन.–

(1) कोई उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतरया जहां बोली दस्तावेज में कोई कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीखसे पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशयपत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्टकालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षितकार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगानेवाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापनसंस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोलीदस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रददरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति काप्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर, विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्पपर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

10. बीमा :– (1) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे– युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बिडर द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(2) यदि बिडर द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

11. भुगतान :— (1) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बिडर द्वारा संस्थान को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बिडर द्वारा वहन किए जाएंगे।

(2) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(3)उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

12. वसूलियां :— परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द किए गए मदिरों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा।नुकसान के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

13. यदि बिडर ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बिड को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि संस्थान द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

14. संस्थान किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बिडर ने बिड दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को समान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपनी पास आरक्षित रखेगा।

15. बिडर करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति ।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एंव कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

16. **कोई दर संविदा, न्यूनतम कीमत वाली बोली या सर्वाधिक लाभप्रद बोली केबोली लगाने वाले के साथ, उपापन की विषय वस्तु की मात्रा, स्थान और समय के लिए** प्रतिबद्धता के बिना, कीमत के लिए की जायेगी।

17. दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने संबंधी खण्ड, दर संविदा के निबंधनों और शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

18. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।
19. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बिडर) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

ii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods): Dividing quantities among more than one bidder at the time of award- As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the

quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted if such condition is specified in the bidding documents. Counter offer to first lowest bidder (L1), in order to arrive at an acceptable price, shall amount to negotiation. However, any counter offer thereafter to second lowest bidder (L2), third lowest bidder (L3) etc., (at the rates accepted by L1) in case of splitting of quantities, as pre- disclosed in the bidding documents, shall not be deemed to be a negotiation.

Annexure E
SR FORM-17

AGREEMENT
(See Rule 68)

An agreement made this ……………………day of …………..between ……………………………………..(hereinafter called **"the approved supplier/contractor"**, which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and **the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.** (herein after called "**the RSGSM**" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

2. Whereas the approved supplier has agreed with the RSGSM to supply to the__________ of the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd. at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the bid and contract appended herewith and at the rates set forth in column___________ of the said schedule.

3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs.______ in __________.

   (1) Cash/Bank Draft/Bank Guarantee /Banker Cheque No.______________________ dated__________.

   (2) Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.

   (3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

4. Now these Presents witness:

   (1) In consideration of the payment to be made by the Government through______ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in__________ and __________ thereof in the manner set forth in the conditions of the bid and contract.

   (2) The conditions of the bid and contract for open bid enclosed to the bid notice No.______ dated________ and also appended to this agreement

will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

(3) Letters Nos.________ received from bidder and letters nos._______ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

(4)

(a) The RSGSM do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the RSGSM will through________ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

(b) The mode of Payment will be as specified below:-

1.____________________
2.____________________
3.____________________

5. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

6. (1)(i)In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the bidder has failed to supply :-

S. No.	Items Quantity	Delivery period
a)	Delay upto one fourth period of the prescribed delivery period.	2½% + 18% GST
b)	Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period.	5% + 18% GST
c)	Delay exceeding one fourth but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period.	7½% + 18% GST
d)	Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period.	10% + 18% GST

Note :

(i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10% + 18% GST

(iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurence of any hinderences, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurence of the hinderence but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hinderences beyond the control of the bidder.

7. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the......... day of ....201.......

Signature of the approved supplier/contractor.

Date:
Witness No. 1

Witness No.2

Signature for and on behalf of Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.
Dy. General Manager (Purchase)
Date:
Witness No. 1

Witness No.2

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

Annexure F

क्र. सं.	मदिरालय	क्र. सं.	संबंधित डिपो	मदिरालय से संबंधित डिपो की दूरी	मदिरालय वार अनुमानित वार्षिक व्यय रूपये में	बोली प्रतिभूति राशि रूपये में @ 2 प्रतिशत
1.	उदयपुर	1.	राजसमन्द	70	9375155	187504
		2.	देवगढ	135		
		3.	डूंगरपुर	110		
		4.	बांसवाड़ा	163		
		5.	चित्तौडगढ	120		
		6.	बेगु	190		
		7.	निम्बाहेडा	105		
		8.	प्रतापगढ	180		
		9.	सोजत	245		
		10.	पाली	248		
		11.	रानी	152		
2.	खारां, बीकानेर	1.	सूरतगढ	155	3500000	70000
		2.	अनुपगढ	150		
		3.	नोखा	85		
		4.	लुणकरणसर	55		
3.	हनुमानगढ	1.	हनुमानगढ	1	4971921	99439
		2.	नोहर	90		
		3.	भादरा	150		
		4.	करणपुर	110		
		5.	रायसिंहनगर	130		
		6.	श्रीगंगानगर	60		
4.	अजमेर	1.	अजमेर	31	6937722	138755
		2.	ब्यावर	60		
		3.	केकड़ी	80		
		4.	किशनगढ	45		
		5.	परबतसर	70		
		6.	डीडवाना	150		
		7.	नागौर	155		
		8.	मेड़तारोड़	90		
5.	भीलवाड़ा	1.	आसीन्द	83	2950455	59010
		2.	शाहपुरा	79		
		3.	माण्डलगढ	73		
		4.	बेगू	89		
		5.	चितौडगढ़	54		
6.	अलवर	1.	बहरोड	85	2282727	45655
7.	धौलपुर	1.	धौलपुर	7	2700000	54000
		2.	करौली	100		
		3.	हिण्डोन	140		
8.	सवाईमाधोपुर	1.	मालपुरा	170	2837000	56740
		2.	गंगापुर सिटी	85		
		3.	दौसा	125		
		4.	टोंक	85		

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

		5.	करौली	128		
		6.	हिंडौन	142		
		7.	बारां	152		
9.	झोटवाड़ा	1.	लोहा मण्डी	15	9792123	195843
		2.	गोनेर रोड़	68		
		3.	दौसा	117		
		4.	बांदीकुई	150		
		5.	दूदू	70		
		6.	चौमू	30		
		7.	शाहपुरा	70		
10.	सीकर	1.	फतेहपुर	50	2500000	50000
		2.	श्रीमाधोपुर	55		
		3.	नीमकाथाना	80		
		4.	सुजानगढ	90		
		5.	चुरू	90		
		6.	तारानगर	130		
11.	झुन्झुनू	1.	झुंझुनू	1	4500000	90000
		2.	नवलगढ	40		
		3.	चिड़ावा	35		
		4.	खेतड़ी	70		
		5.	तारानगर	110		
		6.	चुरू	62		
12.	बारां	1.	बांरा	2	1600000	32000
13.	मण्डोर	1.	फलोदी	140	10613000	212260
		2.	पीपाड़	70		
		3.	जैसलमेर	305		
		4.	पोकरण	180		
		5.	बाड़मेर	222		
		6.	बालोतरा	110		
		7.	पाली	78		
		8.	सोजत	136		
		9.	जैतारण	105		
		10.	नागौर	140		
		11.	मेड़तारोड	147		
		12.	रानी	134		
		13.	जालोर	157		
		14.	भीनमाल	227		
14.	सिरोही	1.	रानी	82	3400000	68000
		2.	आबूरोड	75		
		3.	जालौर	92		
		4.	भीनमाल	80		
15.	कोटा	1.	कोटा	13	7353657	147074
		2.	रामगजमंडी	75		
		3.	भवानीमण्डी	120		
		4.	झालावाड़	115		
		5.	बांरा	75		
		6.	बूंदी	55		

16.	बून्दी	1.	बूंदी	6	1350000	27000
		2.	टोंक	125		
17.	भरतपुर	1.	बयाना	50	4500000	90000
		2.	राजगढ	130		
		3.	भिवाड़ी	195		
		4.	खैरथल	150		
		5.	धौलपुर	90		
		6.	अलवर	111		
		7.	बहरोड़	170		
		8.	हिण्डौन	80		
		9.	करौली	111		
		10.	दौसा	126		
		11.	बांदीकुई	113		
				कुल	81163760	1623280

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

Annexure "G"

चैक लिस्ट(तकनीकी बिड)

(तकनीकी बिड के साथ आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज)

1.	बिडर का नाम	
2.	हैसियत जिसके तहत बिड प्रस्तुत की जा रही है– 1 व्यक्ति 2 फर्म (साझेदारी डीड की प्रति संलग्न) 3 कंपनी (मेमोरेंडम ऑफ एसोशियेशन की प्रति संलग्न)	
3.	पैन नंबर (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न)	
4.	बोली प्रतिभूति राशि @ 2 %	
5.	बिड प्रपत्र का एनेक्सर ''बी'' (रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)	
6.	माल एवं सेवा कर पंजीयन संख्या (GSTIN) (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)	
7.	3 ट्रकों के स्वामित्व रजिस्ट्रेशन/परमिट/इन्श्योरेन्स/फिटनेस संबंधी सभी दस्तावेज (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र) (केवल 9 टन से 12.5 टन क्षमता के स्वंय अथवा फर्म के नाम)	**1.** **2.** **3.**
8.	गत तीन वित्तीय वर्षों i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 का परिवहन कार्य का औसत वार्षिक टर्नऑवर ₹ 20 लाख या अधिक का फर्म का औसत वार्षिक टर्नऑवर प्रतिवर्ष (सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखे / प्रमाण पत्र जिनमें परिवहन कार्य के टर्नऑवर का स्पष्ट उल्लेख हो संलग्न करें)	**2022–23 – ₹…………** **2021–22 – ₹…………** **2020–21 – ₹…………**

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

9.	माल एवं सेवाकर (GST)/सेवाकर की नवीनतम विवरणी (Return)/चालान की प्रति	
10.	सम्पूर्ण बिड प्रपत्र हस्ताक्षरित मोहर सहित अपलोड करना है	

नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें एवं सभी दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर